1280853/2023

संख्या–486 / सैंतीस–2–2023–1(49) / 2017

प्रेषक,

डॉ रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

विषय–प्रदेश स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से दिनांक 23 फरवरी, 2023 तक चालू किये गये विशेष मिशन 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान अभियान की समयसीमा दिनांक 25–03–2023 तक विस्तारित करने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2193 / सैंतीस–2–2022–1(49) / 2017 दिनांक 03.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में 100 दिवसीय मिशन ए0आई0 के अंतर्गत जनपदीय माईक्रोप्लान बनाकर 15 नवम्बर, 2022 से 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, जिसमें अनिवार्यतः 15 % Sexed Sorted Seman से कृत्रिम गर्भाधान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

2– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–43 / प–2 / 37–2 / अ0म0 / 2021–22 दिनांक 22.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण योजना के अपेक्षित परिणाम विलम्ब से परिलक्षित होना प्रारम्भ हुये थे। उक्त के दृष्टिगत अभियान के 100 दिवस के समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी प्रदेश के सम्पूर्ण पशुपालकों को उक्त योजना का अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। अतः निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा अभियान को विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– प्रदेश में अधिकाधिक पशुपालकों को प्रश्नगत योजना का लाभ प्रदान किये जाने के दृष्टिगत निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त योजना को दिनांक 25.03.2023 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त योजना के गहन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 24-02-2023 14:53:44
Reason: Approved

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–486(1) / सैंतीस–2–2023– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास, परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।